March, 1966 from the Superintendent, Central Jail, Cuddalore:

> "I have the honour to inform you that Shri Ananda Nambiar, Member, Lok Sabha, was realsed on parole on the 7th March, 1966, for a period of one month."

Shri Sezhiyan (Perambalur): I want to know whether any conditions have been put on him.

Mr. Speaker: I am told, the conditions have also been received. He can see if he wants.

13.28 hrs.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

MINUTES

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): I lay on the Table a copy of the Minutes of Sittings of the Committee on Public Undertakings relating to Thirteenth Report on the Management and Administration of Public Undertakings (Planning of Projects).

Mr. Speaker: The statement by the Leader of the House.

Shri Satya Narayan Sinha.

13.29 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House for the week commencing 14th March, 1966 will consist of:

(1) Further discussion on the General Budget for 1966-67.

(2) Submission to the vote of the House of Demands on Account (General) for 1966-67.

(3) Discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants (General) for 1965-66.

(4) Consideration and passing of the Armed Forces (Special Powers) Amendment Bill, 1966.

(5) Discussion and voting on:

Demands for Grants (Railways) for 1966-67.

Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1965-66.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): How can you find time for all these things?

Mr. Speaker: Whatever we can finish, we will finish; the others will be carried forward.

Shri Sezhiyan (Perambalur): On 24th February, 1966, in the course of reply to Starred Question No. 180 and supplementaries thereon regarding the raid on astrologer's house, the hon. Leader of the House was pleased to intervene and say:

> "The reply of the Government is not yet over and I think some explanation about that must be given on behalf of the Government or by the Minister concerned."

More than three weeks have passed, but no statement has come forward either from the Government or from the Minister. I want to know from the Leader of the House whether this statement will be made next week.

Mr. Speaker: What was the subject?

Shri Sezhiyan: It was about the raid on the astrologer's house. So many supplementary questions were put and the Leader of the House said that a statement would be made by the Government or by the Minister.

Mr. Speaker: After that, there was half-an-hour discussion. I am told that notice had been received.

Shri Sezhiyan: The Leader has specifically stated:

> "The reply of the Government is not yet over and I think some explanation about that must be given on behalf of the Government or by the Minister concerned."

I want to know whether the explanation is coming. I am not worried about the discussion. They are two separate things.

Shri Satya Narayan Sinha: You have perhaps allowed half-an-hour discussion.

Mr. Speaker: That explanation would be given then.

Shri Satya Narayan Sinha: Half-an-hour discussion will be there when the explanation will be given.

Shri Sezhiyan: Will the half-an-hour discussion be taken up next week?

Mr. Speaker: That will be seen.

श्री कम द कछवाय (देवास): देश के अन्दर इस ..स के विवाद को ले कर हर प्रान्त में झगड़े खड़े हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हर हफ्ते आप इसको उ ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं निवेदन करता हूं कि यह ऐसा विषय है, जिस पर यहां चर्चा होना बहुत जरूरी है। जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी लोगों में असन्तोष बढ़ता जाएगा।

पहले सप्ताह में सरकार ने आश्वासन दिया था कि अगरबत्ती मजदूरों के लिए वह विधेयक लायेगी। लेकिन मंत्री महोदय ने इसका खुलासा नहीं किया कि वह उसको कब तक लाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि इसका खुलासा हो जाना चाहिये।

श्री सत्यनारायण सिंह : उस हाउस में पास हो चुका है, । यहां बहस के लिए वह आएगा

श्री हुकम चन्द कछवाय : बीड़ी नहीं, अगरबत्ती।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) पंजाब में विभाजन के प्रश्न को ले कर इस सदन से बाहर कांग्रस कार्यकारिणी, संसद् सदस्यों की परामर्शदात्री समिति और कबिनेट सब-कमेटी विचार कर रही है। समाचार पत्रों में आए दिन इसके बारे में समाचार आते रहते हैं। उससे पंजाब के अन्दर बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। पंजाब जनसंघ के अध्यक्ष ने आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया है और पन्द्रह तारीख को एक सन्यासी आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं ...

अध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं कहना यह चाहता हूं कि ऐसी स्थिति जो केरल और बंगाल में उत्पन्न हुई है दिल्ली के बगल में पंजाब में न हो। इसलिए उचित यह है कि पालियामेंट इसके ऊपर विचार करे। और देशके प्रतिनिधि बैठ कर इस पर विचार करें। अगले सप्ताह की कार्रवाई में यह चर्चा अवश्य ले ली जाए ताकि स्थिति को बिगड़ने स बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी भी कह लें जो कहना चाहते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल): यहां पर यह कहा गया है कि बंगाल में जो स्थिति

है वह विरोधी दलों की वजह से पैदा हुई है । किन्तु यह सरकार का काम है कि ऐसी स्थिति पैदा करने का वह दूसरों को मौका न दे और जब वह मौका देती है और कुछ हो जाता है तो फिर सरकार कहती है कि दूसरों ने यों किया है, आन्दोलन खड़े किए हैं ।

अभी पंजाबी सूबे के ऊपर बड़ी देर से से 19 वर्ष से हम चर्चा करते आ रहे हैं । और कहते हैं कि यह नहीं बनेगा, नहीं नहीं बनेगा । इस मांग को मान ने के लिए जब मास्टर तारा सिंह ने अनशन किया था तो मैंने भी दिल्ली में अनशन किया था । उस समय इसी सभा में यह पास हुआ था कि पंजाबी सूबा नहीं बनेगा और इस सभा की कारवाई में भी यह लिखा हुआ है और मेरे पास भी रखा हुआ है । फिर उसी प्रश्न को ले कर कांग्रेस की कार्यकारिणी ने यह निश्चय किया है और उसकी घोषणा भी कर दी है कि वह बन जाना चाहिये । इस को ले कर जैसा कि शास्त्री जी ने भी कहा है गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । मैं यह कहता हूं कि देश के कोने कोने में ऐसी स्थिति बनेगी और उसका दोष आप फिर विरोधी सदस्यों को देंगे । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार स्वयं अगले सप्ताह की कारवाई में इसको स्थान दे और इस पर विचार होना चाहिये, शांति से इस पर विचार हो जाना चाहिये ।

Shri D. C. Sharma: I am not entering into any discussion on the merits or demerits of Punjabi Suba. I want to ask one question. A Parliamentary Committee was appointed, of which the Chairman is no less a person than the hon. Speaker of the House. I do not think that the report of that Committee has been submitted to anybody; if it has been submitted to anybody, at least no Member of Parliament is cognisant of it. Secondly, it was broadcast all over the world, especially in India, that a Cabinet Sub-Committee had been established to go into this question. What has that Cabinet Sub-Committee done? What are its findings? At what stage these findings are being considered? We do not know. My only question is whether to bypass the Parliamentary Committee and the Cabinet Sub-Committee, about which we had been speaking so long and so often, is a good Parliamentary practice.

श्री बूटा सिंह (मोगा) : जब पिछले हफ्ते हाउस के नेता ने हाउस का बिजिनेस एनाउंस किया था तो मैंने भी ऐसी हिमाकत की थी जैसे हमारे स्वामी जी ने की है. . . ?

श्री रामेश्वरानन्द : ऐसा क्यों कहते हैं . ये शब्द इनको वापिस लेने चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी के लिए आप नहीं कह सकते हैं । अपने लिये कह सकते हैं । दूसरे मेम्बर के लिए नहीं इनका इस्तेमाल होना चाहिये

श्री बूटा सिंह : अपनी बात

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम क्यों लिया है ?

श्री रामेश्वरानन्द : अपने लिये जो चाहें कह सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं कह सकते हैं । उनको ये शब्द वापिस लेने चाहियें । मुझे इस पर आपत्ति है ।

श्री बूटा सिंह : अपने लिए कहा है । स्वामी जी के लिए नहीं कहा है ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरे लिए पहले और पीछे अपने लिए कहा है ।

श्री बूटा सिंह : मैंने बिलकुल यत्न किया था कि. . . . .

श्री रामेश्वरानन्द : इस शब्द को वह वापिस लें । इस पर मुझे विरोध है ।

अध्यक्ष महोदय : इनके लिये आपको नहीं कहना चाहिये । अपने लिए जो चाहें कहें ।

श्री बूटा सिंह : अपने लिए मैंने कहे हैं । अगर यह समझते हैं कि इनके लिए कहे हैं तो मैं वापिस लेता हूं ।

मैंने भी यत्न किया था कि पंजाब के जो लोग सरहदों पर रहते हैं उनके बारे में कुछ विचार किया जाए तो आपने रूलिंग दी थी कि जिस मामले के बारे में कोई मोशन नहीं है, हाउस के सामने वह मामला किसी शकल में नहीं है, न क्वेश्चन में है न रिपोट में है उस पर विचार करना न सदन के नेता का और न ही आपका कोई मौका बनता है । जो मामला स्वामी जी और शास्त्री जी ने उठाया है इसके बारे में भी वही शर्त लागू होती है । न तो कोई मोशन है पार्लिमेंट के सामने और न कोई प्रश्न है और न कोई रेजोल्यूशन है ।

दूसरी बात यह है कि जो पार्लिमेंटरी कमेटी बनी है उसने अभी तक अपनी कोई रिपोट नहीं दी है । शर्मा जी ने जो कुछ कहा मैं उसके साथ अपनी सहमति प्रकट करता हूं । इन हालात में किसी किस्म की बात कहना या किसी किस्म की धमकी देना पंजाब को जलाने की या पंजाब में ऐसे हालात पैदा करने की धमकी देना, मैं समझता हूं ऐसी बात है जिस पर एतराज़ हो सकता है और इसका मैं बड़े जोर से विरोध करता हूं । इस मामले पर कोई विचार नहीं होना चाहिये तब तक जब तक कि पार्लिमेंटरी कमेटी की और कैबिनेट सब-कमेटी की कोई रिपोट नहीं आ जाती है ।

श्री सत्यनारायण सिंहा : करीब करीब जो मैं कहना चाहता था उन्होंने कह दिया है । आप तो पार्लिमेंटरी कमटी के अध्यक्ष हैं । अभी उस कमेटी की कोई रिपोट सामने नहीं आई है । कैबिनेट सब-कमेटी की भी रिपोट अभी तक नहीं आई है । इस बीच वर्किंग कमेटी जो कांग्रेस की है उसकी सिफारिशें सामने आई हैं । मैं समझता हूं कि जब तक कोई मामला साफ न हो जाए, जब तक आपकी कमेटी की रिपोट न आ जाए, हाउस क्या डिसकस करेगा । मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या कहा जाए ।

13.40½ hrs.

FIXATION OF MINIMUM PRICE FOR SUGARCANE DURING 1966-67

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): Government have considered the question of fixation of minimum price of sugarcane payable by sugar factories during the season 1966-67 which would commence in October-November, 1966 and for which plantings are in progress at present. The Government have decided that the basic minimum price would continue to be the same as during the current season, namely, Rs. 5.36 per quintal (Rs. 2 per maund) linked to a recovery of 10.4 per cent or below subject to an increase of 4 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 10.4 per cent. The prices payable by individual factories shall be fixed on the above basis before the commencement of the next crushing season in October-November, 1966.

13.42 hrs.

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further discussion of the general budget. Shri D. N. Tiwary may now continue his speech.